कार्यालय–पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर, (उधमसिंहनगर)।

दूरभाष संख्या 05944-242552 Website. www.ucdfaanchal.org

पशु–पक्षी आहार/साइलेज/मिनरल मिक्चर/काम्पैक्ट फीड के परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र कमांक – ....

निविदा पत्र मूल्य –**1180.00** (जी0एस0टी0 सहित)

निविदा सूचना संख्या 09/पशु–पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्चर/ काम्पैक्ट फीड ब्लाक 2024–25

दिनांक **12/12/2024**

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला
रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

तकनीकी बिड

कार्यालय–पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर, (उधमसिंहनगर)।

पशु–पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर/काम्पैक्ट फीड परिवहन हेतु निविदा फार्म (शर्तो सहित)

(01) नाम–निविदादाता...

(02) पिता/पति का नाम..

(03) स्थाई पता...

....

....

(04) पत्र व्यवहार का पता...

....

....

(05) फोन/दूरभाष संख्या...(ख) मोबाईल नम्बर.......................................

(06) वाहनों का प्रकार .... एवं उनकी भार क्षमता.............................

(07) निविदा प्रपत्र मूल्य धनराशि.............................. दिनांक.......................रसीद संख्या...........................

बैक ड्राफ्ट संख्या..दिनांक................................ धनराशि..

बैक का नाम...

(08) अर्नेस्ट मनी का विवरण :–(क) बैक ड्राफ्ट संख्या................. दिनांक..................... धनराशि..............

बैक का नाम...

(ख) नकद रसीद संख्या......................................दिनांक...............................धनराशि...........................

(09) निविदादाता निम्न प्रपत्रों की स्वं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

क. परिवहनकर्ता/फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर...

ख. फर्म/निविदादाता का पैन कार्ड नम्बर...

ग. निविदादाता का स्थायी पता (आधार कार्ड नम्बर/मतदाता पहचान पत्र)...

घ, वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर...

ड. निविदा मूल्य की जमा रसीद/बैक ड्राफ्ट की मूलप्रति

च. धरोहर धनराशि जमा करने सम्बन्धी संस्था की रसीद की मूलप्रति/बैक ड्राफ्ट की मूल प्रति।

हस्ताक्षर

नाम परिवहनकर्ता...

स्थायी पता...

....

मोबाईल नम्बर..

वित्तीय बिड

पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

पशु –पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लाक परिवहन हेतु प्रति कुन्तल परिवहन दरों का विवरण

क0 सं0	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	काम्पैक्ट फीड ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)
1	2	3	4
	जनपद–नैनीताल (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
1	लालकुआँ		
2	कालाढुंगी		
3	छोई (रामनगर)		
4	बेतालघाट		
5	खन्स्यू (नैनीताल)		
6	हेडियागॉव		
7	कोटाबाग		
8	मुक्तेश्वर		
9	धारी		
10	रामगढ (नैनीताल)		
11	बैलपडाव		
12	रामनगर		
13	जाडापानी/धानाचूली		
14	सुयालबाड़ी		
15	बबियाड़		
16	ज्योलीकोट		
17	मालधनचौड़		
18	पीरूमदारा		
19	लामाचौड़		
20	चोरगलिया		
21	गौलापार		

क0 सं0	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	काम्पैक्ट फीड ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)
1	2	3	4
22	बिन्दुखत्ता/रावतनगर		
23	नथुवाखान		
24	भौर्सा (जमरानी)		
25	गहना/पोखरी क्षेत्र		
26	कसियालेख		
	जनपद– ऊधमसिंहनगर (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
27	बाजपुर		
28	प्रतापपुर (खटीमा)		
29	खटीमा		
30	नानकमत्ता		
31	गूलरभोज		
32	काशीपुर		
33	सितारगंज		
34	काशीपुर (25 कु0 तक के वाहन क्षमता हेतु)		
35	पन्तनगर (25 कु0 तक के वाहन क्षमता हेतु)		
	जनपद– पिथौरागढ (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
36	विण		
37	पांगू		
38	बारापट्टा		
39	गंगोलीहाट		
40	थल		
41	धारचूला		
42	बेरीनाग		

क0 सं0	स्थान का नाम	पशु आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर आदि ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	काम्पैक्ट फीड ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)
43	मूनाकोट		
44	बलुवाकोट		
45	डीडीहाट		
46	कनालीछीना		
47	मतकोट		
	जनपद–चम्पावत (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
48	नरियालगांव		
49	चम्पावत		
50	लोहाघाट		
51	टनकपुर		
52	बाराकोट		
	जनपद– बागेश्वर (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
53	शामा		
54	लीति		
55	कर्मी		
56	गरूड़		
57	बागेश्वर		
58	कपकोट		
59	कांडा		
	जनपद– हरिद्वार (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
60	लण्ढौरा		
61	गैण्डीखत्ता/लालढांग		
	जनपद–देहरादून (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
62	देहरादून		
63	हरबर्टपुर		

क0 सं0	स्थान का नाम	पशुआहार/साईलेज/मिनरल मिक्चर आदि ढुलान हेतु दर (रू0 में)	काम्पैक्ट फीड ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)
1	2	3	4
64	कालसी		
65	लालटप्पर		
66	विकासनगर		
67	छरबा		
68	रूद्रपुर (देहरादून)		
69	झबरावाला		
70	पशुलोक ऋषिकेश		
	जनपद–चमोली (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
71	ग्वालदम		
72	पीपलकोटी		
73	हैलंग (जोशीमठ)		
74	सिमली (कर्णप्रयाग)		
75	चमोली		
76	जोशीमठ		
77	मण्डल		
78	घिंघराण		
79	गैरसैण (चमोली)		
80	भराडीसैण		
81	नन्दप्रयाग		
82	केदारकांठा पोखरी		
83	बंगालीघाट		
84	घाट (चमोली)		
85	देवाल		
86	नारायण बगड		

क0 सं0	स्थान का नाम	पशुआहार/साईलेज/मिनरल मिक्चर आदि ढुलान हेतु दर (रू0 में)	काम्पैक्ट फीड ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)
1	2	3	4
	जनपद– पौड़ी गढवाल (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
87	श्रीनगर		
88	कोटद्वार		
89	चमरिया		
	जनपद– उत्तरकाशी (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
90	मातली, उत्तरकाशी		
91	बादसी		
92	फोल्ड		
93	थलकुण्डी		
94	गुन्दियाटगांव		
	जनपद– टिहरी गढवाल (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
95	नई टिहरी		
96	मुनि की रेती		
97	कोपड़धार		
	जनपद– रूद्रप्रयाग (दुग्ध संघ, पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
98	रूद्रप्रयाग		
99	गौरीकुण्ड		
100	मक्कू		
101	खलियाड़बांगर		
102	सोनप्रयाग		
	जनपद– अल्मोड़ा (दुग्ध संघ को छोड़कर पशुपालन एवं अन्य विभागों हेतु)		
103	द्वाराहाट		
104	अल्मोड़ा		

क0 सं0	स्थान का नाम	पशुआहार/साईलेज/मिनरल मिक्चर आदि ढुलान हेतु दर (रू0 में)	काम्पैक्ट फीड ढुलान हेतु दर जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)
1	2	3	4
105	ताड़ीखेत		
106	चौखुटिया		
107	सोमेश्वर		
108	देघाट		
109	धौलादेवी		
110	बाड़ेछीना		
111	तुराचौड़		
112	लमगड़ा		
113	भिकियासैंण		
114	रानीखेत		

नोटः– 1. उपरोक्त स्थानों से अतिरिक्त कही अन्यन्त्र स्थानों हेतु भेजे जाने पर निकटतम स्टेशन की दूरी की अनुमोदित दर के आधार पर प्रति कुन्तल, प्रति कि0मी0 की दूरी की दर से उक्त स्थान का भुगतान किया जायेगा एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता को उक्त स्थान पर पशु–पक्षी आहार, साईलेज, काम्पैक्ट फीड ब्लाक, मिनरल मिक्सचर आदि अन्य सामग्री पहुँचाना होगा।

2. **पशु–पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लाक ढुलान की दरें पृथक–पृथक भरी जायें।** दरें अंकों में साफ एवं स्पष्ट होनी चाहिए किसी भी प्रकार की काट–पीट या ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं होंगी।

3. जिस स्थान/स्टेशन हेतु ढुलान करना चाहते हो कृपया केवल उसी स्थान/स्टेशन की दरें अंकित करें। जिस स्टेशन/स्थान हेतु दरें नहीं देना चाहते हो तो उस कालम को क्रास कर दें। निविदा की दरें अंकित करने से पूर्व सम्बन्धित स्टेशन/स्थान की दूरी एवं पहुच के बारे में अपने स्तर से भी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर

निविदादाता

नाम–

पता–

कार्यालय–पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड रूद्रपुर,(उधमसिंहनगर)

पशु–पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लाक की विभिन्न स्थानों को आपूर्ति/ढुलान हेतु निविदा शर्ते

1–निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायेगी।

2–निविदा की प्रविष्टियॉ पूर्ण रूप से पठनीय एवं स्पष्ट भरी जानी आवश्यक होगी। निविदा फार्म में भरी जाने वाली परिवहन दरों में किसी भी प्रकार की काट–पीट या ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं होगी।

3–निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) रूपये जी0एस0टी0 सहित होगा। जिसे वापस नही किया जायेगा।

4–निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) की बेबसाइट www.ucdfaanchal.org. से सीधे भी डाउनलोड किये जा सकते है। बैवसाइट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 1180.00 (रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) जी0एस0टी0 सहित का बैक ड्राफ्ट एवं निविदा की शर्तो के अनुसार धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कैटिल फीड फैक्ट्री रूद्रपुर के नाम देय हो, मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5–निविदा लिफाफे में पंजीकृत डाक से अथवा कोरियर के माध्यम से पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाई पास रोड, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यालय में दिनांक **27/12/2024** को अपरान्ह **12.30** बजे तक प्राप्त की जायेगी इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर **"ऑचल" पशु–पक्षी आहार/साईलेज परिवहन"** हेतु निविदा लिखना अनिवार्य होगा। शीलबन्द निविदा सीधे संस्था के निविदा बॉक्स में भी दिनांक **27/12/2024** को अपरान्ह **12.30** बजे तक डाली जा सकती है तथा निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह **01.00** बजे खोली जायेगी।

6–निविदादाता को निविदा के साथ, नकद अथवा **Cattle Feed Factory Rudrapur** के पक्ष में देय बैक ड्राफ्ट **₹25,000.00** (रू0 पच्चीस हजार मात्र) अर्नेस्टमनी जमा करनी आवश्यक होगी। अर्नेस्टमनी नकद दिनांक **26/12/2024** को सांय **05.00** बजे तक जमा की जायेगी। अर्नेस्टमनी के बैगर निविदा विचार हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी।

7–निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को जमानत राशि पशु–पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर हेतु **₹4,00,000.00** (रू0 चार लाख मात्र) एवं काम्पैक्ट फीड ब्लाक परिवहन हेतु **₹1,00,000.00** (रू0 एक लाख मात्र) एवं पशु–पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर व काम्पैक्ट फीड ब्लाक परिवहन दोनों में निविदा स्वीकृत होने पर **₹5,00,000.00** (रू0 पांच लाख मात्र) जमानत राशि नकद अथवा एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में कैटिल फीड फैक्ट्री रूद्रपुर के नाम जमा करनी होगी।

8– न्यूनतम दरों के आधार पर निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रान्सपोर्टर को ऑचल पशु आहार निर्माणशाला के साथ **₹100.00** (रू0 एक सौ मात्र) के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य अनुबन्ध करना होगा। इससे सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य अनुबन्ध न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9– अप्लाइड (A/F) फोर वाहन की निविदा मान्य नहीं होगी।

10– कार्य अनुबन्ध एक बर्ष की अवधि का होगा, जिसे संस्था द्वारा आवश्यकता पडने पर तीन–तीन माह की अवधि के लिये आगे दो बार बढाया जा सकता है।

11– निविदादाता द्वारा परिवहन दरें गंतव्य स्थानवार प्रति कुन्तल के हिसाब से दी जायेगी, परिवहनकर्ता वाहन की स्वीकृत क्षमता के आधार पर ही परिवहन करेगा।

12– संस्था द्वारा पशु–पक्षी आहार/साईलेज/मिनरल मिक्सचर एवं काम्पैक्ट फीड ब्लाक के अतिरिक्त अन्य सामग्री भेजी जाती है। तो सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता निर्धारित दरों पर उसका ढुलान करना होगा।

13– संस्था द्वारा सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर को वाहन की आवश्यकता पडने पर दूरभाष से अथवा ट्रान्सपोर्टर द्वारा उपलब्ध कराये गये व्हाटसअप नम्बर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचना के 24 घन्टे के अन्दर संस्था को वाहन उपलब्ध कराना सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लिये अनिवार्य होगा। सूचना के निर्धारित अवधि तक भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर इस संस्था द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में इस संस्था को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पडता है, तो अधिक व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के लम्बित बिलों अथवा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी।

14–टोल टैक्स, पुल टैक्स, आदि समस्त व्ययों का भुगतान सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, जो निविदा के समय देय है। निविदा के उपरान्त पड़ने वाले नये टोल टैक्स, पुल टैक्स इत्यादि का व्यय–भार परिवहनकर्ता द्वारा रसीद उपलब्ध कराने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

15– यदि परिवहनकर्ता द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता अथवा कार्य छोडने की स्थिति में संस्था को यह अधिकार होगा कि तीन नोटिस के उपरान्त सम्बन्धित परिवहनकर्ता का टैण्डर निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त कर लें।

16– पशु–पक्षी आहार के परिवहन एवं अनलोडिंग के बिलों का भुगतान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा ही किया जायेगा।

17– भेजे जाने वाले माल की गतव्य स्थान तक पूर्ण मात्रा अच्छी एवं सही स्थिति में समय से पहुँचाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा। माल प्राप्ति की रसीद भी इस संस्था को उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी भी सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर की होगी। परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति में हुई हानि की क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर का होगा।

18– संस्था द्वारा निविदा कराने के पश्चात यदि कोई नये स्थान पर पशु–पक्षी आहार की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर के आधार पर 05 से 10 कि0मी0 की परिधि में सृजित स्थान की दर नजदीकी स्थान की अनुमोदित दर मान्य होगी एवं उससे अधिक दूरी पर प्रति कि0मी0 प्रति कुन्तल के आधार पर अनुमोदित होगी।

19– निविदा खुलते समय मात्र निविदादाता या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रहेगा। अधिकृत प्रतिनिधि की दशा में प्रतिनिधि के पास प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

20– निविदादाता के पास स्वयं का वाहन होना आवश्यक है। प्रमाण हेतु वाहन के पंजीयन की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे या फर्म (ट्रान्सपोर्टर) पंजीकृत हो, जिसका प्रमाण निविदा में संलग्न होना चाहिए।

21–वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर माल के खराब होने की स्थिति में क्षति हुए माल की प्रतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

22– निविदा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2019 के अधीन होगी।

23– गंतव्य स्थान तक माल को सुरक्षित पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता की होगी। किसी भी कारणों से माल के खराब होने की स्थिति में हुई क्षति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित परिवहनकर्ता का होगा। चालक/परिचालक द्वारा माल की लोडिंग/अनलोडिंग अपने सामने करवायी जायेगी एवं माल की प्राप्ति दी जानी अनिवार्य होगी। किसी कारणवश सम्बन्धित संस्था तक माल पूरा नहीं पहुंचता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता की होगी।

24–एक से अधिक स्थानों पर निविदा स्वीकृत होने पर परिवहनकर्त्ता को एक ही दिन में एक से अधिक स्थानों को मांग होने पर अनिवार्य रूप से प्रत्येक स्थान हेतु अलग–अलग वाहन उपलब्ध कराना होगा।

25–सफल निविदादाता को अपने वाहन की फिटनेस, परमिट, प्रदूषण एवं बीमा सम्बन्धी प्रपत्र 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से संस्था में जमा कराने होगें, अन्यथा संस्था में जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

26–जनपद नैनीताल के मुख्य स्टोर, दुग्ध संघ लालकुआं हेतु निविदा करने वाले परिवहनकर्ताओ के पास न्यूनतम 02 (दो) वाहन होने आवश्यक है जिसके प्रमाण पत्र निविदा में लगाये जाने अनिवार्य हैं।

27—निविदा 02 बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग—अलग लिफाफों में प्रेषित करनी है तथा लिफाफे के बाहर **तकनीकी बिड** या **वित्तीय बिड** लिखना अनिवार्य होगा। पहले तकनीकी बिड खोली जायेंगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

28— निविदा में प्राप्त सभी स्थानों की न्यूनतम दरें तब तक स्वीकृत नहीं मानी जायेगी, जब तक सम्बन्धित संस्था/दुग्ध संघ इसे स्वीकार न कर लें।

29— निविदा सम्बन्धित दुग्ध संघों/विभागों की मांग के आधार पर प्रचलित स्टेशनों हेतु की जा रही है।संस्था/विभाग की मांग न होने पर किसी स्टेशन पर निविदा अवधि में वाहन की मांग नहीं भी की जा सकती है। इसमें संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(अ) तकनीकी बिड में निविदादाता को निम्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म को तकनीकी आधार पर अयोग्य करार कर दिया जायेगा।

(अ) परिवहनकर्ता का जी0एस0टी0 नम्बर।

(ब) पैन कार्ड।

(स) निविदादाता का स्थायी पता (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)।

(द) वाहन का रजिस्ट्रेशन/बीमा/फिटनेस/परमिट जो निविदा के समय वैद्य हो।

(य) निविदा मूल्य जमा रसीद।

(र) धरोहर धनराशि जमा करने सम्बन्धी ड्राफ्ट/संस्था की रसीद की मूलप्रति।

(ब) वित्तीय बिड

इस निविदा में दिये गये दर अंकन प्रपत्र में दिये गये विभिन्न स्थानों की पृथक—पृथक दरें दी जानी है।

29—पशु आहार निर्माणशाला एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में इसकी अपील एवं अन्तिम निर्णय का अधिकार, निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पास सुरक्षित रहेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

30—किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, सामान्य प्रबन्धक, पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के पास सुरक्षित रहेगा।

31—सफल निविदादाता को संस्था की "ख" श्रेणी की सदस्यता लेनी होगी।

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर।

घोषणाः— मैनें उपरोक्त समस्त दरें अपने विवेक से दी है, तथा दी गयी समस्त शर्तो से सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर किये गये है।

हस्ताक्षर

निविदादाता